

 सत्यमेव जयते	<b>राजस्थान राज—पत्र</b> <b>विशेषांक</b>	<b>RAJASTHAN GAZETTE</b> Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	भाद्र 24, बुधवार, शाके 1932—सितम्बर 15, 2010 <i>Bhadra 24, Wednesday, Saka 1932—September 15, 2010</i>	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT**  
**(GROUP-II)**  
NOTIFICATION

**Jaipur, September 15, 2010**

**No. F. 2 (25) Vidhi/2/2010.**—The following Act of the Rajasthan State Legislature received the assent of the Governor on the 13<sup>th</sup> day of September, 2010 and is hereby published for general information:—

**THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT**  
**(AMENDMENT) ACT, 2010**  
**(Act No. 18 of 2010)**

[Received the assent of the Governor on the 13<sup>th</sup> day of September, 2010]

*An*

*Act*

*further to amend the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-first Year of the Republic of India, as follows:—

**1. Short title and commencement.**— (1) This Act may be called the Rajasthan Urban Improvement (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

**2. Amendment of section 24-A, Rajasthan Act No. 35 of 1959.**—For the existing section 24-A of the Rajasthan Urban

Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959), hereinafter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

**"24-A. Power of transfer.**-(1) Any officer or servant of a Trust may be transferred by the State Government from one Trust to another Trust in accordance with the rules made under section 74.

(2) Any officer or servant of a Trust may, in accordance with the rules made under section 74, be transferred by the State Government to a Municipality or the Jaipur Development Authority or the Jodhpur Development Authority or the Rajasthan Housing Board or any other local authority on a post carrying pay scale not lower than the pay scale of the officer or servant to be transferred:

Provided that the lien of the officer or servant so transferred shall remain in the parent Trust and he shall be considered for further promotion whenever a consideration for promotion to the higher post in his cadre is made in that Trust."

**3. Amendment of section 72, Rajasthan Act No. 35 of 1959.**-In section 72 of the principal Act,-

(a) for the existing punctuation mark ".", appearing at the end of sub-section (1), the punctuation mark ":" shall be substituted; and

(b) after the existing sub-section (1), so amended, the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided that the State Government, if it is satisfied that it is expedient in the public interest so to do, may, by notification in the Official Gazette, exempt any class of improvement from obtaining permission in writing under the provisions of section 73."

**4. Amendment of section 73, Rajasthan Act No. 35 of 1959.**- In section 73 of the principal Act,-

(a) in sub-section (8),-

- (i) for the existing expression "one month", the expression "two months" shall be substituted; and
  - (ii) for the existing expression "fifteen days", the expression "one month" shall be substituted; and
- (b) in sub-section (9), for the existing expression "to the Collector", the expression "to Divisional Commissioner or to any other officer authorized by the State Government in this behalf by notification in the Official Gazette" shall be substituted.

**5. Addition of sections 73-C and 73-D, Rajasthan Act No. 35 of 1959.-** After the existing section 73-B of the principal Act, the following new sections shall be added, namely:-

**"73-C. Provision of rain water harvesting.-** (1)

In every building constructed on a plot of land exceeding three hundred square metres in an urban area after the commencement of the Rajasthan Urban Improvement (Amendment) Act, 2010 (Act No. 18 of 2010), it shall be compulsory to install a rain water harvesting system of such type and specifications as may be prescribed by the State Government having regard to the area and use of the land and keep such system always in working condition:

Provided that if the State Government, having regard to the ground water level in a particular area, is of the opinion that installation of rain water harvesting system in such area is not appropriate, it may, by notification in the Official Gazette, exempt such area from the operation of the provisions of this section.

(2) The Trust shall not grant any permission for development required under the provisions of this Act or rules or regulations made thereunder unless provision for rain water harvesting system of the type and specifications prescribed under sub-section (1) has been made in the site plan and maps and the person seeking permission

undertakes to install such system and furnishes security for the same to the satisfaction of the Trust.

(3) Every owner of the building, for which rain water harvesting system is compulsory under the provisions of this section, shall, after completion of such building, obtain a completion certificate in the prescribed manner and no such building shall be occupied unless and until such certificate has been obtained.

(4) The officer or authority authorized to issue completion certificate under sub-section (3) shall not issue such certificate unless he is satisfied that a rain water harvesting system of the type and specifications prescribed under sub-section (1) has been installed in the building and is operational.

(5) Any development of land in an urban area made or continued in contravention of the provisions of this section shall be deemed to be an unauthorized development for the purposes of this Act.

(6) No permanent water connection from any public water supply system shall be permitted in a building, for which rain water harvesting system is compulsory under the provisions of this section, unless the owner or occupier thereof produces a completion certificate issued under sub-section (3).

(7) Any person who contravenes any provision of this section shall, on conviction and without prejudice to any other action that may be taken against him under any other provision of this Act or any other law for the time being in force, be punishable with imprisonment which may extend to seven days or with fine which shall not be less than rupees twenty five thousand but which may extend to rupees one lakh or with both.

**Explanation.-** For the purposes of this section, 'rain water harvesting system' means any structure or apparatus

or both, including roof top structure and under ground tank, constructed or installed to collect rain water either for domestic use or for percolation into earth for the purpose of recharging ground water.

**73-D. Provision of parking space.-** (1) In every building constructed in an urban area after the commencement of the Rajasthan Urban Improvement (Amendment) Act, 2010 (Act No. 18 of 2010), it shall be compulsory to provide such parking space as may be prescribed by the State Government:

Provided that the State Government may, having regard to the area of land and situation and use of building, exempt, by notification in the Official Gazette, any building or class of buildings from the provisions of this section.

(2) The Trust shall not grant any permission for development required under the provisions of this Act or rules or regulations made thereunder unless provision for parking space as prescribed under sub-section (1) has been made in the site plan and maps and the person seeking permission undertakes to provide such parking space and furnishes security for the same to the satisfaction of the Trust.

(3) Every owner of the building, for which provision of parking space is compulsory under the provisions of this section, shall, after completion of such building, obtain a completion certificate in the prescribed manner and no such building shall be occupied unless and until such certificate has been obtained.

(4) The officer or authority authorized to issue completion certificate under sub-section (3) shall not issue such certificate unless he is satisfied that parking space as prescribed under sub-section (1) has been provided in the building.

(5) Any development of land in an urban area made or continued in contravention of the provisions of this section shall be deemed to be an unauthorized development for the purposes of this Act.

(6) No permanent water connection from any public water supply system shall be permitted in a building, for which provision of parking space is compulsory under the provisions of this section, unless the owner or occupier thereof produces a completion certificate issued under sub-section (3).

(7) Any person who contravenes any provision of this section shall, on conviction and without prejudice to any other action that may be taken against him under any other provision of this Act or any other law for the time being in force, be punishable with imprisonment which may extend to seven days or with fine which shall not be less than rupees twenty five thousand but which may extend to rupees one lakh or with both."

**6. Amendment of section 74, Rajasthan Act No. 35 of 1959.-** For the existing clause (jj) of sub-section (1) of section 74 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(jj) for prescribing the conditions under which the officers and employees of a Trust may, under section 24-A, be transferred from one Trust to another Trust or to a municipality or to the Jaipur Development Authority or the Jodhpur Development Authority or to the Rajasthan Housing Board or to any other local authority ; "

**7. Amendment of section 89-A, Rajasthan Act No. 35 of 1959.-** In section 89-A of the principal Act,-

(a) for the existing sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) Any person who whether at his own instance or at the instance of any other person, or any department of Government, undertakes or

carries out any improvement of any land in any urban area, in contravention of the provisions of sub-section (1) of section 72, or in contravention of any condition subject to which permission for undertaking or carrying on any improvement has been granted under section 73, shall be punishable with simple imprisonment which shall not be less than fifteen days but which may extend to forty five days or with fine which shall not be less than thirty thousand rupees but which may extend to fifty thousand rupees or with both and in the case of a continuing offence with further fine of five hundred rupees for every day during which such offence continues after conviction for the first commission of the offence:

Provided that the court may for any adequate and special reasons to be mentioned in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term less than fifteen days." ;

- (b) in sub-section (2), for the existing expression "with fine which may extend to two thousand rupees.", the expression "with simple imprisonment which shall not be less than fifteen days but which may extend to forty five days or with fine which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to twenty thousand rupees or with both:" shall be substituted ; and
- (c) after sub-section (2), so amended, the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided that the court may for any adequate and special reasons to be mentioned in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than fifteen days."

**8. Insertion of new section 90-A, Rajasthan Act No. 35 of 1959.**—After the existing section 90 and before the existing section 91 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:—

**"90-A. Power to seal unauthorized improvement.—**

(1) The Trust may, at any time before or after making an order to stop any improvement under sections 73-A, 90, 91-B and 91-C, make an order directing the sealing of such improvement in the prescribed manner, for preventing any dispute as to the nature and extent of such improvement.

(2) Any person aggrieved by an order under sub-section (1) may appeal to the Divisional Commissioner against the order within 30 days from the date of the order of the Trust and the Divisional Commissioner may after hearing the parties to the appeal either dismiss the appeal or may reverse or vary the whole or any part of the order.

(3) Where any improvement has been sealed, the Trust or the officer authorized by it in this behalf may for the purpose of removing or discontinuing such development, order the seal to be removed.

(4) No person shall remove such seal except—

- (a) under an order of the Trust or the officer authorized under sub-section (3); or
- (b) under an order of the Divisional Commissioner or the State Government, as the case may be.

(5) Any person who contravenes the provisions of sub-section (4) shall, on conviction, be punished with fine which may extend to twenty five thousand rupees.

**9. Amendment of section 91, Rajasthan Act No. 35 of 1959.**— In section 91 of the principal Act,—

- (a) for the existing expression "fine which may extend to five hundred rupees, or with simple imprisonment, for a period of six months", the



expression "simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to three months or with fine which shall not be less than twenty thousand rupees but which may extend to fifty thousand rupees" shall be substituted; and

- (b) for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and thereafter the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided that the court may for any adequate and special reasons to be mentioned in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than one month."

**10. Amendment of section 91-A, Rajasthan Act No. 35 of 1959.**—In section 91-A of the principal Act, for the existing sub-section (3), the following shall be substituted, namely:-

"(3) Any person aggrieved by an order of the Divisional Commissioner made under sub-section (2) may, within 30 days from the date of the order, file a revision petition before the State Government so as to challenge the legality or propriety of such order and the State Government may, after hearing the parties to the revision, pass such order as it may deem fit and the order of the State Government shall be final."

**11. Amendment of section 92-A, Rajasthan Act No. 35 of 1959.**— In section 92-A of the principal Act,-

- (a) in sub-section (1),-

(i) for the existing expression "one month", wherever occurring, the expression "three months" shall be substituted; and

(ii) for the existing expression "which may extend to twenty thousand rupees", the

expression "which shall not be less than thirty thousand rupees or with both" shall be substituted;

(b) in sub-section (2), for the existing expression "two thousand rupees", the expression "five thousand rupees" shall be substituted;

(c) in sub-section (4),-

(i) for the existing expression "may extend to six months or with fine which may extend to ten thousand rupees", the expression "shall not be less than two months but which may extend to six months or with fine which shall not be less than thirty thousand rupees but which may extend to fifty thousand rupees" shall be substituted; and

(ii) for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and thereafter the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided that the court may for any adequate and special reasons to be mentioned in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than two months."; and

(d) in sub-section (16),-

(i) for the existing expression "may extend to one month or with fine which may extend to one thousand rupees", the expression "shall not be less than three months but which may extend to three years or with fine which may extend to thirty thousand rupees" shall be substituted; and

- (ii) for the existing punctuation mark ".", appearing at the end of the existing proviso, the punctuation mark ":" shall be substituted and thereafter the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided further that the court may for any adequate and special reasons to be mentioned in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than three months."

**12. Insertion of new section 93-B, Rajasthan Act No. 35 of 1959.**—After the existing section 93-A and before the existing section 94 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

**"93-B. Power to call for records.**- (1) The State Government or any officer not below the rank of the Secretary to the Government authorized in this behalf by the State Government, may, for the purpose of being satisfied as to the correctness, legality or propriety of any order or resolution passed or purporting to have been passed, under this Act by or on behalf of the Trust, call for the relevant record, and may, in doing so, direct that pending the examination of such record, such order or resolution shall be kept in abeyance and no action in furtherance thereof shall be taken until such examination by the State Government or by the officer authorized in this behalf by the State Government and the passing of order under sub-section (2):

Provided that record relating to an order or a resolution shall not be called for under this sub-section after the expiry of three years from the date of such order or resolution.

(2) After examining the record, the State Government or the officer authorized as aforesaid may rescind, reverse or modify such order or resolution and the order of the State Government or the officer authorized as aforesaid shall be final and binding on the Trust."

**13. Deletion of section 95-A, Rajasthan Act No. 35 of 1959.**-The existing section 95-A of the principal Act shall be deleted.

**14. Insertion of new section 104-A, Rajasthan Act No. 35 of 1959.**- After the existing section 104 and before the existing section 105 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

**"104-A. General power of control by State Government.**- Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government shall have general power of control over the Trust and may give such directions as in its opinion are necessary or expedient for carrying out the purposes of this Act and it shall be the duty of the Trust to comply with such directions."

कपिल भार्गव,

**Principal Secretary to the Government.**

## विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 15, 2010

संख्या प. 2 (25) विधि/2/2010.—राजस्थान राजभाषा अधिनियम 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेन्ट (अमेन्डमेंट) एक्ट, 2010 (एक्ट नं. 18 ऑफ 2010)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:—

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अधिनियम, 2010

(2010 का अधिनियम संख्यांक 18)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 सितम्बर, 2010 को प्राप्त हुई)

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह राज-पत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 35 की धारा 24-क का संशोधन.—राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 24-क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"24-क. स्थानान्तरण करने की शक्ति.— (1) किसी न्यास के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को धारा 74 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किसी एक न्यास से दूसरे न्यास में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(2) किसी न्यास के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को धारा 74 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किसी नगरपालिका या जयपुर विकास प्राधिकरण या जोधपुर विकास प्राधिकरण या राजस्थान आवासन बोर्ड या किसी भी अन्य स्थानीय प्राधिकरण में ऐसे पद पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा

जिसका वेतनमान स्थानान्तरित किये जाने वाले अधिकारी या कर्मचारी के वेतनमान से निम्नतर न हो :

परन्तु इस प्रकार स्थानान्तरित किये गये अधिकारी या कर्मचारी का धारणाधिकार पैतृक न्यास में बना रहेगा और जब कभी भी उस न्यास में उसके संवर्ग में उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाये तो उसकी आगे की पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा।”।

**3. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 35 की धारा 72 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 72 में,—

- (क) उप-धारा (1) के अन्त में आये विराम चिह्न “।” के स्थान पर विराम चिह्न “:” प्रतिस्थापित किया जायेगा; और
- (ख) इस प्रकार संशोधित विद्यमान उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:—

“परन्तु राज्य सरकार, यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में समीचीन है तो राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, सुधार के किसी भी वर्ग को धारा 73 के उपबंधों के अधीन लिखित अनुज्ञा प्राप्त करने से छूट प्रदान कर सकेगी।”।

**4. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 35 की धारा 73 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 73 में,—

- (क) उप-धारा (8) में,—
- (i) विद्यमान अभिव्यक्ति “एक मास” के स्थान पर अभिव्यक्ति “दो मास” प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ii) विद्यमान अभिव्यक्ति “पन्द्रह दिन” के स्थान पर अभिव्यक्ति “एक मास” प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) उप-धारा (9) में विद्यमान अभिव्यक्ति “कलक्टर को” के स्थान पर अभिव्यक्ति “खण्ड आयुक्त को या राज्य सरकार द्वारा राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी को” प्रतिस्थापित की जायेगी।

**5. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 35 में धारा 73—ग और 73—घ का जोड़ा जाना.**—मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 73—ख के पश्चात् निम्नलिखित नयी धाराएं जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :—

“73—ग. वर्षा जल संग्रहण का उपबंध.—(1) राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम

सं. 18) के प्रारंभ के पश्चात् किसी नगरीय क्षेत्र में तीन सौ वर्ग मीटर से अधिक के भू-खण्ड पर संनिर्मित प्रत्येक भवन में, ऐसे प्रकार की और विशिष्टताओं वाली वर्षा जल संग्रहण प्रणाली, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा उस क्षेत्र और भूमि के उपयोग को ध्यान में रखते हुए विहित की जाये, स्थापित करना और ऐसी प्रणाली को सदैव चालू हालत में रखना अनिवार्य होगा :

परन्तु यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र में भू-जल स्तर को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसे क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण प्रणाली स्थापित करना उचित नहीं है तो वह, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र को इस धारा के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

(2) न्यास, इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबंधों के अधीन विकास के लिए अपेक्षित कोई भी अनुज्ञा तब तक मंजूर नहीं करेगा जब तक कि स्थल योजना और नक्शों में उप-धारा (1) के अधीन विहित किये गये प्रकार की और विशिष्टताओं वाली वर्षा जल संग्रहण प्रणाली के लिए व्यवस्था न की गयी हो और अनुज्ञा चाहने वाला व्यक्ति ऐसी प्रणाली स्थापित करने का जिम्मा नहीं लेता और इसके लिए न्यास के समाधानप्रद रूप में प्रतिभूति नहीं देता।

(3) भवन, जिसके लिए इस धारा के उपबंधों के अधीन वर्षा जल संग्रहण प्रणाली अनिवार्य है, का प्रत्येक स्वामी ऐसे भवन के पूर्ण होने के पश्चात्, विहित रीति से एक पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा और ऐसा कोई भी भवन तब तक अधिभोग में नहीं लिया जायेगा जब तक कि ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त न कर लिया गया हो।

(4) उप-धारा (3) के अधीन पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी ऐसा प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाये कि उप-धारा (1) के अधीन विहित प्रकार की और विशिष्टताओं वाली वर्षा जल संग्रहण प्रणाली उस भवन में स्थापित कर ली गयी है और वह चालू हालत में है।

(5) इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में किसी नगरीय क्षेत्र में भूमि का किया गया या जारी रखा गया कोई भी विकास इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अप्राधिकृत विकास समझा जायेगा।

(6) ऐसे भवन में, जिसके लिए इस धारा के उपबंधों के अधीन वर्षा जल संग्रहण प्रणाली अनिवार्य है, किसी भी लोक जल प्रदाय प्रणाली से कोई भी स्थायी जल-संबंध तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि उसका स्वामी या अधिभोगी उप-धारा (3) के अधीन जारी किया गया पूर्णता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर दे।

(7) कोई व्यक्ति, जो इस धारा के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, और किसी भी अन्य कार्रवाई जो इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबंध या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकती हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे कारावास से जो सात दिन तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

**स्पष्टीकरण.**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, 'वर्षा जल संग्रहण प्रणाली' से, छत के ऊपर की संरचना और भूमिगत टैंक को सम्मिलित करते हुए, या तो घरेलू उपयोग के लिए या भूमिगत जल का पुनर्भरण करने के प्रयोजन के लिए भूमि में अंतःस्रवण के लिए वर्षा जल एकत्र करने हेतु संनिर्मित या स्थापित कोई संरचना या साधित्र, या दोनों अभिप्रेत हैं।

**73-घ. पार्किंग स्थान का उपबंध.**—(1) राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम सं. 18) के प्रारंभ के पश्चात् किसी नगरीय क्षेत्र में संनिर्मित प्रत्येक भवन में ऐसा पार्किंग स्थान उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये :

परन्तु राज्य सरकार, भूमि के क्षेत्रफल और भवन की स्थिति और उपयोग को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी भवन या भवनों के वर्ग को इस धारा के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकेगी।

(2) न्यास, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबंधों के अधीन विकास के लिए अपेक्षित कोई भी अनुज्ञा तब तक मंजूर नहीं करेगा जब तक कि स्थल योजना और नक्शे में उप-धारा (1) के अधीन विहित किये गये पार्किंग स्थान के लिए व्यवस्था न की गयी हो, और अनुज्ञा चाहने वाला व्यक्ति ऐसा पार्किंग स्थान उपलब्ध कराने का जिम्मा नहीं लेता और इसके लिए न्यास के समाधानप्रद रूप में प्रतिभूति नहीं देता।



(3) भवन, जिसके लिए इस धारा के उपबंधों के अधीन पार्किंग स्थान उपलब्ध कराना अनिवार्य है, का प्रत्येक स्वामी ऐसे भवन के पूर्ण होने के पश्चात्, विहित रीति से एक पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा और ऐसा कोई भी भवन तब तक अधिभोग में नहीं लिया जायेगा जब तक कि ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त न कर लिया गया हो।

(4) उप-धारा (3) के अधीन पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी ऐसा प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाये कि उप-धारा (1) के अधीन यथा विहित पार्किंग स्थान उस भवन में उपलब्ध करा दिया गया है।

(5) इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में किसी नगरीय क्षेत्र में भूमि का किया गया या जारी रखा गया कोई भी विकास इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अप्राधिकृत विकास समझा जायेगा।

(6) ऐसे भवन में, जिसके लिए इस धारा के उपबंधों के अधीन पार्किंग स्थान की व्यवस्था अनिवार्य है, किसी भी लोक जल प्रदाय प्रणाली से कोई भी स्थायी जल-संबंध तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि उसका स्वामी या अधिभोगी, उप-धारा (3) के अधीन जारी किया गया पूर्णता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर दे।

(7) कोई व्यक्ति जो इस धारा के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, और किसी भी अन्य कार्रवाई, जो इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबंध के या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकती हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे कारावास से जो सात दिन तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।”।

**6. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 35 की धारा 74 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 74 की उप-धारा (1) के विद्यमान खण्ड (अज) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

“(अज) ऐसी शर्तें, जिनके अधीन किसी न्यास के अधिकारियों और कर्मचारियों को, धारा 24-क के अधीन किसी एक न्यास से दूसरे न्यास या किसी नगरपालिका या जयपुर विकास प्राधिकरण या जोधपुर विकास प्राधिकरण या राजस्थान आवासन बोर्ड या अन्य किसी भी स्थानीय प्राधिकरण में स्थानान्तरित किया जा सकेगा, विहित करने के लिए;”।

7. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 35 की धारा 89-क का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 89-क में,—

(क) विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

“(1) कोई व्यक्ति जो, चाहे स्वप्रेरणा से, या किसी अन्य व्यक्ति की या सरकार के किसी विभाग की प्रेरणा से धारा 72 की उप-धारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में या किसी ऐसी शर्त के उल्लंघन में जिसके अध्यक्षीन किसी सुधार कार्य को हाथ में लेने या कार्यान्वित करने के लिए धारा 73 के अधीन अनुज्ञा दी गयी है, किसी नगरीय क्षेत्र में किसी भूमि में कोई सुधार कार्य हाथ में लेता है या कार्यान्वित करता है, तो वह ऐसे साधारण कारावास से जो पंद्रह दिन से कम नहीं होगा किन्तु जो पैंतालीस दिन तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो तीस हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से और अपराध चालू रहने की दशा में ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा अपराध, प्रथम अपराध करने के लिए सिद्धदोष ठहराये जाने के पश्चात् चालू रहता है, पांच सौ रुपये के अतिरिक्त जुर्माने से दंडनीय होगा:

परन्तु न्यायालय किन्हीं भी पर्याप्त और विशेष कारणों से, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाये, पन्द्रह दिन से कम की अवधि के कारावास का दंड अधिरोपित कर सकेगा।”;

(ख) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “जुर्माने से दंडनीय होगा, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा।” के स्थान पर अभिव्यक्ति “ऐसे साधारण कारावास से जो पंद्रह दिन से कम नहीं होगा किन्तु जो पैंतालीस दिन तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा :” प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ग) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:—

“परन्तु न्यायालय किन्हीं भी पर्याप्त और विशेष कारणों से, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाये, पन्द्रह

दिन से कम की अवधि के कारावास का दंड अधिरोपित कर सकेगा।”।

**8. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 35 में नयी धारा 90-क का अन्तःस्थापन.**—मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 90 के पश्चात् और विद्यमान धारा 91 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:—

**90-क. अप्राधिकृत सुधार को सील करने की शक्ति.**—(1) न्यास, धारा 73-क, 90, 91-ख और 91-ग के अधीन किसी भी सुधार को रोकने के लिए कोई आदेश देने के पूर्व या पश्चात् किसी भी समय, ऐसे सुधार की प्रकृति और विस्तार के बारे में किसी भी विवाद का निवारण करने के लिए, ऐसे सुधार को विहित रीति से सील करने का निदेश देते हुए आदेश दे सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, न्यास के आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर-भीतर उस आदेश के विरुद्ध खंड आयुक्त को अपील कर सकेगा और खंड आयुक्त, अपील के पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, या तो अपील खारिज कर सकेगा या उस आदेश को पूर्णतः या उसके किसी भाग को उलट सकेगा या उसमें फेरफार कर सकेगा।

(3) जहां किसी सुधार को सील कर दिया गया हो वहां न्यास या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे विकास को हटाने या रोकने के प्रयोजन के लिए उस सील को हटाये जाने का आदेश दे सकेगा।

(4) कोई भी व्यक्ति ऐसी सील को निम्नलिखित के सिवाय नहीं हटायेगा—

(क) उप-धारा (3) के अधीन न्यास या प्राधिकृत अधिकारी के किसी आदेश के अधीन; या

(ख) खंड आयुक्त या, यथास्थिति, राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन।

(5) कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (4) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जायेगा।”।

**9. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 35 की धारा 91 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 91 में,—

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति “जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या छः माह की कालावधि के साधारण कारावास” के स्थान पर अभिव्यक्ति “साधारण कारावास से जो एक मास से कम नहीं होगा किन्तु जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो बीस हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा,” प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न “।” के स्थान पर विराम चिह्न “:” प्रतिस्थापित किया जायेगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

“परन्तु न्यायालय किन्हीं भी पर्याप्त और विशेष कारणों से, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाये, एक मास से कम की अवधि के कारावास का दंड अधिरोपित कर सकेगा।”।

**10. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 35 की धारा 91—क का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 91—क में, विद्यमान उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

“(3) उप-धारा (2) के अधीन खंड आयुक्त द्वारा दिये गये आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर—भीतर, ऐसे आदेश की वैधता या औचित्य को चुनौती देते हुए राज्य सरकार के समक्ष पुनरीक्षण याचिका फाईल कर सकेगा और राज्य सरकार पुनरीक्षण के पक्षकारों को सुनने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगी जो वह ठीक समझे और राज्य सरकार का आदेश अंतिम होगा।”।

**11. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 35 की धारा 92—क का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 92—क में,—

(क) उप-धारा (1) में,—

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति “एक मास” जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति “तीन मास” प्रतिस्थापित की जायेगी; और

- (ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा", के स्थान पर अभिव्यक्ति "जो तीस हजार रुपये से कम नहीं होगा, या दोनों से" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ख) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दो हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पांच हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ग) उप-धारा (4) में,—
- (i) विद्यमान अभिव्यक्ति "जो छह मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा", के स्थान पर अभिव्यक्ति "दो मास से कम नहीं होगा किन्तु जो छह मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो तीस हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ii) अन्त में आये हुए विद्यमान विराम चिह्न "।", के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:—
- "परन्तु न्यायालय किन्हीं भी पर्याप्त और विशेष कारणों से, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाये, दो मास से कम की अवधि के कारावास का दंड अधिरोपित कर सकेगा।";
- (घ) उप-धारा (16) में—
- (i) विद्यमान अभिव्यक्ति "जो एक मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा", के स्थान पर अभिव्यक्ति "जो तीन मास से कम नहीं होगा किन्तु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो तीस हजार रुपये तक का हो सकेगा" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ii) विद्यमान परन्तुक के अन्त में आये हुए विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":"

प्रतिस्थापित किया जायेगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

“ परन्तु यह और कि न्यायालय किन्हीं भी पर्याप्त और विशेष कारणों से, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाये, तीन मास से कम की अवधि के कारावास का दंड अधिरोपित कर सकेगा।” ।

**12. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 35 में नयी धारा 93-ख का अन्तःस्थापन.**—मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 93-क के पश्चात् और विद्यमान धारा 94 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

“93-ख. अभिलेख मंगाने की शक्ति.—(1) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत शासन सचिव से अनिम्न रैंक का कोई भी अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन न्यास द्वारा या उसकी ओर से पारित या पारित किये गये समझे गये किसी आदेश या संकल्प के सही होने, उसकी वैधता या औचित्य के बारे में समाधान के प्रयोजन के लिए सुसंगत अभिलेख मंगवा सकेगा और ऐसा करने में, निदेश दे सकेगा कि ऐसे अभिलेख की परीक्षा होने तक ऐसा आदेश या संकल्प प्रास्थगित रखा जायेगा और उसे अग्रसर करने के लिए कोई भी कार्रवाई तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी परीक्षा नहीं कर ली जाये और उप-धारा (2) के अधीन आदेश पारित न कर दिया जाये:

परन्तु किसी आदेश या किसी संकल्प से संबंधित अभिलेख, ऐसे आदेश या संकल्प की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, इस उप-धारा के अधीन नहीं मंगाया जायेगा।

(2) अभिलेख की परीक्षा करने के पश्चात्, राज्य सरकार या यथापूर्वोक्त प्राधिकृत अधिकारी ऐसे आदेश या संकल्प को विखंडित कर सकेगा, उलट सकेगा या उपांतरित कर सकेगा और राज्य सरकार या यथापूर्वोक्त प्राधिकृत अधिकारी का आदेश अंतिम होगा और न्यास पर आबद्धकर होगा।” ।

13. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 35 की धारा 95-क का हटाया जाना.—मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 95-क हटायी जायेगी।

14. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं. 35 में नयी धारा 104-क का अन्तःस्थापन.—मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 104 के पश्चात् और विद्यमान धारा 105 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:—

“104-क. राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण की साधारण शक्ति.—इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार को न्यास पर नियंत्रण की साधारण शक्ति होगी और वह ऐसे निदेश दे सकेगी जो उसकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या समीचीन हों और ऐसे निदेशों का अनुपालन करना न्यास का कर्तव्य होगा।”।

कपिल भार्गव,  
प्रमुख शासन सचिव।